न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) कैराना, शामली।
उपस्थिति– रूचि तिवारी... ... ... उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा।
मूलवाद संख्या– 53 सन् 2009

1– **शिवकुमार** पुत्र बाबूराम उम्र करीब 45 साल पेशा कृषि

2– **राजकुमार उर्फ पहाड़ी** पुत्र बाबूराम उम्र करीब 48 साल पेशा कृषि

3– **राजबीर उर्फ राजू** पुत्र धूमसिंह उम्र करीब 40 साल पेशा कृषि जाति हिन्दू गुर्जर निवासी ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर––––––––––**वादीगण।**

बनाम

1– **ग्राम पंचायत ऊंचा गांव** परगना व तहसील कैराना द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर।

2– **उत्तर प्रदेश राज्य** द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर जनपद मु०नगर जिसकी तामील ए.डी.जी.सी. कैराना पर होगी।––––––––––––––––––––**प्रतिवादीगण।**

<u>निर्णय</u>

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादी का वादपत्र में अभिकथन है कि वादीगण प्रारम्भ से ही ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर के निवासी हैं, काश्तकारी व्यवसाय है। वादीगण वादपत्र के अन्त में दर्शायी गयी आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर पर मालिक व काबिज हैं तथा वादी नं.–3 ने ए, बी, सी, डी, में गैलरी 10 दुकाने, व गैलरी के ऊपर कमरा तथा डांगरी के लिये व भूसा आदि डालने के लिए मकानात बना रखे हैं तथा बिजली कनेक्शन वादी नं.–3 के पिता के नाम है। वादीगण आवासीय सम्पत्ति ए, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, में डांगर बांधते हैं तथा कृषि कार्य के सभी उपकरण रखते हैं। आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, की पूर्णतया तफसील वादपत्र के अन्त में नक्शा नजरी में दी गयी है। आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, स्थित ग्राम ऊंचा गांव में खसरा नं.–416 रकबा 0.1540 व खसरा नं.–417 रकबा 0.0080 वादीगण के नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 पर भी वादीगण पुराने समय से काबिज हैं। खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर के सम्बन्ध में गैर फरीक वाद रामदास व वादीगण का वाद नं.–326 सन् 1991 रामदास बनाम धूमसिंह आदि वाद चला था और जिसमें फैसला होकर खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 हेद

वादीगण को मिली थी। प्रतिवादीगण ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ऊंचा गांव व उ०प्र० राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी एस.डी.एम. कैराना आदि गैर कानूनी तरीक से अवैधानिक तरीके से वादीगण को आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, का मालिक मानने से इन्कार कर रहे हैं और कब्जे से बेदखल करने की बराबर धमकी दे रहे हैं तथा उ०प्र० राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी लेखपाल/कानूनगो दिनांक 03.02.2009 को समय करीब 4.00 बजे सायं आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, में बनी तामीरात को गिराने पहुंचे थे इस कारण वाद की आवश्यकता हुई। वाद का कारण प्रतिवादीगण द्वारा सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर का वादीगण को मालिक न मानने से और बेदखल करने की धमकी देने से दिनांक 03.02.2009 को समय करीब 4.00 बजे न्यायालय की सीमाबद्ध उत्पन्न हुआ है। न्यायालय को वाद को सुनने व तय करने का हक हासिल है। वाद का मूल्यांकन विवादित सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 2,00,000/–दो लाख रूपये पर कायम किया जाकर वास्ते उद्घोषणा 200.00 रूपये तथा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा 1/5 भाग 40,000/–रूपये पर 500/–रूपये कुल कोर्ट फीस 700/–रूपये अदा की जाती है। वादीगण अदालत से प्रार्थी है कि–

क– बजरिये डिक्री अदालत आदेश उद्घोषणा इस अमर की जारी की जावे कि वादपत्र के अन्त में दर्शायी गयी आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर जिसे वादपत्र के अन्त में दर्शाया के वादीगण मालिक व काबिज हैं।

ख– बजरिये डिक्री अदालत आदेश प्रतिवादीगण को निषिद्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्ट या सर्वेन्ट द्वारा वादीगण की आवासीय सम्पत्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना जनपद मु०नगर जिसे वादपत्र के अन्त में दर्शाया है के वादीगण के कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करे।

ग– वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

घ– अन्य दीगर दादरसी बहक वादीगण प्रतिवादीगण दी जा सकती हो दिलायी जावे।

प्रतिवादी नं.–2 अपर जिलाधिकारी द्वारा द्वारा वादीगण के वादपत्र के विरूद्ध अपना जवाबदावा कागज सं.–35 क प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के अधिकांश कथनों का अस्वीकार कर अतिरिक्त कथन में कहा है कि वाद वादीगण कतई गलत व झूठ बयानात पर आधारित होने के कारण खण्डनीय है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 सी.पी.सी.व धारा 106 पंचायत राज एक्ट तहत कोई नोटिस नहीं दिया है और देने या ने देने का स्पष्ट व माकूल कारण भी वादपत्र में उल्लेखित नहीं किया है। जिस कारण वाद में धारा 80 सी.पी.सी. व धारा 106

पंचायत राज एक्ट बाधक है और वाद खण्डनीय है। स्वयं वादीगण के कथनानुसार विवादित भूमि ख.नं.–416,417,418 का भाग बताया ख.नं.–416 व 417 कृषि योग्य भूमि है व ख.नं.–418 सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उक्त ख .नं. पर वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा इस न्यायालय से कराना चाहता है जिसका इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र भी नहीं है वाद में धारा 331 उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन अधि. बाधक है और वाद खण्डनीय है। वादीगण ने विवादित भूमि की कोई पैमाइश भी वादपत्र के अन्त में प्रदर्शित नजरी नक्शे में नहीं दी है। ख.न.–418 रकबई 0.3280 हे० राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(4) के रूप में दर्ज है जिसमें वास्तविक स्वामी प्रतिवादीगण है। वादीगण का कोई ताल्लूक या मतलब या वास्ता उक्त खसरा नम्बर से नहीं है। कानूनन भी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध हुक्मइम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता है। ख.नं.–418 की भूमि पहले खादी ग्रामोद्योग को आबंटित की गयी थी जो नवीनीकरण न होने के कारण अस्तित्व में नहीं है जिस पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कैराना द्वारा पारित आदेश द्वारा पूर्ववत बंजर के रूप में ग्राम सभा दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा अपील माननीय आयुक्त सहारनपुर में योजित की गयी जो निरस्त हुई और उक्त ख.नं.–418 ग्राम सभा में निहित होना कायम रखा गया। इस प्रकार वादीगण का कोई स्वामित्व ख.नं.–418 से नहीं है। वादीगण द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कैराना के विरूद्ध जो अपील माननीय आयुक्त सहारनपुर में योजित की गयी थी निरस्त होने के कारण वाद रेसजूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित है और खण्डनीय है। स्वयं वादीगण द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज से भी स्पष्ट है कि उक्त अपील निरस्त हो गयी है अब उसके विरूद्ध इस न्यायालय में वाद योजित कर दिया है जिस कारम भी इस न्यायालय को वाद के श्रवण करने का अधिकार नहीं है। वाद में धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम बाधक है और वाद खण्डनीय है। वादीगण को कभी भी खं.न.–417 व 416 से कब्जा हटाने की धमकी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दी गयी है। इस प्रकार वादीगण को कोई वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रदर्शित नक्शे में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कहां से कहां तक सम्पत्ति ख .नं.–416 व 417 में स्थित है और कहां ख.नं.–418 स्थित है और पैमाइश भी नहीं दी गयी है। इस प्रकार वाद अस्पष्ट है और भ्रामक है। वादीगण का कोई पुराना कब्जा ख.नं.–418 पर नहीं है और न ही उक्त भूमि उनमें या उनके पूर्वजों में निहित ही हुई है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम व गलत किया गया और कोर्ट फीस कम अदा किया गया। प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह ख.नं.–418 से वादीगण या किसी अन्य के अवैध कब्जे को हटावे या न करने देवे उसके सम्बन्ध में वादीगण को यह वाद दायर करने का अधिकार भी नहीं है। वादीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया भी नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है और हुक्मइम्तनाई जारी होने से वादीगण से अधिक

प्रतिवादीगण को अपूर्णनीय हानि है। वादीगण का मुख्य उद्देश्य प्रतिवादीगण को दिक व परेशान करना है जिस कारण वादीगण से प्रतिवादीगण को स्पेशल हर्जा दिलाया जाना न्यायहित में है। उपरोक्त कारणों से वाद वादीगण मय खर्चे व स्पेशल हर्जे सहित खण्डित किया जावे।

प्रलेखीय साक्ष्य में वादीगण की ओर से सूची 11ग से कागज संख्या 12ग बैनामा दिनांक 17.07.1991, कागज संख्या 13ग नकल खतौनी, कागज संख्या 14ग नकल खतौनी, कागज संख्या 15ग नकल खसरा, कागज संख्या 16ग नकल खसरा, एनेक्चर–1 नकल शजरा, एनेक्चर–2 नकल फैसलानामा वाद सं.–326/1991, एनेक्चर–3 नकल निर्णय दिनांक 05.01.2005 वाद सं.–326/1991, एनेक्चर–4 नकल निर्णय दिनांक 12.09.2008 न्यायालय उपजिलाधिकारी कैराना, एनेक्चर–5 नकल आदेश दिनांक 23.09.2008 न्यायालय अपर आयुक्त सहारनपुर, एनेक्चर–6 नकल आदेश दिनांक 27.01.2009 अपर आयुक्त(प्रभाजन) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर, कागज सं.–45ग/3 नकल Civil writ petition no–9843 सन् 2009 धूमसिंह आदि बनाम ग्राम सभा/ग्राम पंचायत आदि, कागज सं.–45ग/4 आदेश दिनांकित 27.02.2009 माननीय उच्च न्यायालय प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 47ग से कागज सं.–48ग नकल खतौनी, कागज सं.–49ग नकल खसरा, कागज सं.–50ग नकल शजरा प्रस्तुत किये गये।

मौखिक साक्ष्य के रूप में वादीगण द्वारा सूची 12ग से शपथपत्र 13क पी.डब्लू.–1 वादी सं.–1 शिवकुमार, शपथपत्र 14क पी.डब्लू.–2 हरीकिशन परीक्षित कराये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची 20ग से शपथपत्र 21ग लेखपाल पंकज चौहान मुख्य परीक्षा, सूची 24ग से शपथपत्र 25क डी.डब्लू.–1 लेखपाल कपिल शर्मा।

कमीशन आख्या कागज सं.–22ग पत्रावली पर अंकित हैं, जिसे न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.08.2009 द्वारा साक्ष्याधीन पुष्ट किया जा चुका है।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, से दर्शाया गया है के मालिक काबिज व दखील हैं ?

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

4. क्या वादीगण का वाद धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्धों से बाधित है ?

5. क्या वादीगण का वाद धारा 38 एवं41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के उपबन्धों से बाधित है?

6. क्या प्रतिवादीगण वादीगण से धारा 35 ए सी.पी.सी. के अन्तर्गत विशेष हर्जा प्राप्त करने के हकदार हैं?

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 1–

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, से दर्शाया गया है के मालिक काबिज व दखील हैं" इस वाद बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादपत्र के अन्त में प्रस्तुत नक्शा नजरी में जो आवासीय सम्पत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, से दर्शायी गयी है, वह खसरा नं.–416, 417 व 418 स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना में स्थित है। खसरा सं.–416 रकबा 0.1540 हे०, खसरा सं.–417 रकबा 0.0080 हे० के वादीगण संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज तथा दखील हैं तथा खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 हे० पर भी वादीगण का पुराने समय से कब्जा है। अपने इस कथन के समर्थन में वादीगण द्वारा सूची 11 ग से कागज सं.–12 ग नकल बैनामा दिनांकित 17.07.1991, कागज सं.–13 ग नकल खतौनी बाबत खसरा सं.–416, 417, कागज सं.–15 ग नकल खसरा बाबत गाटा सं.–416, 417 प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादीगण गाटा सं.–416 तथा 417 के संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज व दखील है। यहां पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र कागज सं.–35 क में भी यह कथन किया है कि गाटा सं.–416 तथा 417 के संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज व दखील है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य तो स्थापित दर्शित होता है कि वादीगण ही खसरा सं.–416, 417 के मालिक तथा काबिज हैं। यहां पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य मुख्य विवाद खसरा सं.–418 रकबा 0.3280 हे० स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना

का है। वादीगण का अपने वादपत्र में यह कथन है कि वे पुराने समय से गाटा सं.–418 पर काबिज हैं तथा वादीगण ही गाटा सं.–418 पर कब्जे के आधार पर मालिक हैं। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का अपने प्रतिवादपत्र 35 क में यह कथन है कि गाटा सं.–418 श्रेणी 6(4) की भूमि है जिसके कि प्रतिवादीगण मालिक हैं तथा पूर्व में यह भूमि खादी ग्रामोद्योग को आबंटित हुई थी जो कि नवीनीकरण न होने के कारण अस्तित्व में नहीं है , जिस पर श्रीमान उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा पारित आदेश से खसरा सं.–418 ग्रामसभा के नाम पर दर्ज हुई जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय आयुक्त सहारनपुर में अपील प्रस्तुत की गयी जो कि निरस्त हुई। अपने इस कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा सूची 47 ग से कागज सं.–48 ग नकल खतौनी तथा कागज सं.–49 ग नकल खसरा प्रस्तुत किया, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पूर्व में गाटा संख्या प्रसार क्रेशर राम राज्य गुङ खाण्डसारी उद्योग सहकारी समिति लि० के नाम पर दर्ज थी जिसे कि उपजिलाधिकारी कैराना के आदेश दिनांकित 24.09.2008 से ग्राम समाज के नाम पर अंकित किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि वादीगण राजस्व प्रपत्रों के अनुरूप खसरा सं.–418 के घोषित मालिक नहीं हैं तथा उसका गांवसभा ऊंचा गांव से खसरा सं.–418 को लेकर विवाद है जिसमें गांव सभा व राजस्व अधिकारियों को यह तथ्य स्वीकार है कि खसरा सं.–418 पर वादीगण ही काबिज हैं व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपनी रिट याचिका सं.–9843/2009 में भी वादीगण के कब्जे के तथ्य को माना है व यह न्यायालय राजस्व भूमि के संदर्भ में उद्घोषणा करने के लिये किसी भी प्रकार से प्राधिकृत नहीं है तब वादीगण को खसरा सं.–418 का मालिक उद्घोषित किया जाना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है व इसलिये वादीगण को गाटा सं.–418 का मालिक घोषित नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर प्रश्न यह है कि "क्या वादीगण गाटा सं.–418 पर काबिज हैं अर्थात् क्या गाटा सं.–418 पर वादीगण का कब्जा है।" गाटा सं.–418 पर अपने कब्जे को सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही है। उपरोक्त वाद में दोनों पक्षकारों को यह तथ्य स्वीकृत है कि खसरा सं.–418 प्रसार क्रेशर राम राज्य गुङ खाण्डसारी उद्योग सहकारी समिति को 99 वर्ष के पट्टे पर दी गयी थी तथा खतौनी में प्रश्नगत सम्पत्ति पर दिनांक 12.09.2008 तक उपर्युक्त वर्णित सहकारी समिति का नाम दर्ज था। इसके उपरांत एनेक्चर–4 नकल निर्णय दिनांक 12.09.2008 न्यायालय उपजिलाधिकारी कैराना के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा अपने उपर्युक्त आदेश द्वारा प्रसार क्रेशर राम राज्य गुङ खाण्डसारी उद्योग सहकारी समिति का नाम निरस्त करके ग्राम सभा का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध धूमसिंह आदि जो कि वादी सं.–3 के पिता भी थे तथा प्रसार क्रेशर राम राज्य गुङ खाण्डसारी उद्योग सहकारी समिति के सचिव भी थे, के द्वारा निगरानी सं.–109 सन् 2008–09 संस्थित

की गयी तथा एनेक्चर–5 नकल आदेश दिनांकित 23.09.2008 न्यायालय अपर आयुक्त(प्रशासन) सहारनपुर के अवोलकन से यह दर्शित होता है कि निगरानी सं.–109 सन् 2008–09 अपर आयुक्त सहारनपुर द्वारा निरस्त की गयी। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध धूमसिंह तथा राम राज्य गुङ खाण्डसारी सहकारी समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं.–9843/2009 प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांकित 27.02.2009 की छायाप्रति शपथपत्र 45 ग के संलग्नक के रूप में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश तक याचिका कर्तागण को प्रश्नगत सम्पत्ति से बेदखल न किये जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक 27.02.2009 के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया गया तथा कोई आदेश पारित किया भी गया अथवा नहीं या फिर उपरोक्त रिट याचिका में अद्यतन क्या स्थिति है, इसका कोई भी उल्लेख पक्षकारों द्वारा पत्रावली पर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अंकित कमीशन आख्या कागज सं.–22 ग जिसे कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.08.2009 के द्वारा साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया है, के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अमीन कमिश्नर के निरीक्षण के समय विवादित स्थल पर दो कमरे, दो बरामदे, जीना, 10 दुकानें, गैलरी, छज्जा एवं प्रथम तल पर कमरा बना हुआ पाया गया तथा साथ ही बिजली का मीटर व सबमर्सिबल पम्प, नल आदि प्रश्नगत सम्पत्ति पर लगे हुए पाये गये। यहां पर यह तथ्य अत्यंत उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत डी.डब्लू.–1 लेखपाल कपिल शर्मा के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा कागज सं.–25 क तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि "खसरा नं.–418 पर वादी का अवैध कब्जा है।" लेखपाल कपिल शर्मा द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि "यह बात सही है कि खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 हे० चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और दीवारें पुरानी बनी हुई हैं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वादीगण ने ही दीवारें तामीर की हैं या नहीं। चारों ओर से घिरी हुई दीवारों में खसरा नं.–416, 417 व 418 में रहने के मकानात, कृषि उपकरण व आखेर बनी हुई है।" अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त विवादित सम्पत्ति खसरा सं.–416, 417 व 418 पर कमरें, मकानात व दुकानें इत्यादि बनी हुई हैं व खसरा सं.–418 का कोई पृथक् रूप से सीमांकन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं बतलाया गया है। उपरोक्त वाद में पक्षकारों को यह तथ्य स्वीकार है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादीगण द्वारा कब्जा करके निर्माण किया गया है तथा खसरा सं.–416, 417 पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होना दर्शित है तथा खसरा सं.–418 में अंकित प्रविष्टियों को लेकर मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.02.2009 के द्वारा भी यही निर्देशित है कि याचिका कर्तागण को प्रश्नगत सम्पत्ति

से बेदखल न किया जाये तो यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को प्रश्नगत सम्पत्ति से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल कर दिया जाता है अथवा प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे में कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष इस स्तर पर प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जबकि स्पष्ट रूप से वादीगण का कब्जा गाटा सं.–418 पर प्रतिवादीगण को भी स्वीकार्य है व प्रतिवादीगण कोई भी पृथक् सीमांकन गाटा सं.–418 का अपनी ओर से नही बतला पाये हैं तब वादीगण जो कि ख.सं.–416,417 के मालिक, काबिज व दखील हैं व गाटा सं.–418 पर भी पुराने समय से प्रतिवादीगण को स्वीकार्य रूप से काबिज चले आ रहे हैं तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं.–9843/2009 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2009 का सम्मान करते हुए जबकि इस स्तर तक वादीगण के कब्जे में कोई विपरीत परिस्थिति विकसित नहीं हुई है तब उन्हें गाटा सं.–418 से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल किया जाना व उनके कब्जे में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। वादीगण का वाद इसी आशय के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध अज्ञाप्त किये जाने योग्य है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं.–2 व 3–</u>

वाद बिन्दु सं.–2 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?" तथा वाद बिन्दु सं.–3 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?" न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं.–2 दिनांक 03.10.2017 व वाद बिन्दु सं.–3 दिनांक 27.10.2017 को निस्तारित किये जा चुके हैं जो इसी प्रकार निर्णीत समझे जायेंगे तथा निर्णय के भाग रहेंगे।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं.–4,5 व 6–</u>

वाद बिन्दु सं.–4 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादीगण का वाद धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्धों से बाधित है?" व वाद बिन्दु सं.–5 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादीगण का वाद धारा 38 एवं41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के उपबन्धों से बाधित है?" तथा वाद बिन्दु सं.–6 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या प्रतिवादीगण वादीगण से धारा 35 ए सी.पी.सी. के अन्तर्गत विशेष हर्जा प्राप्त करने के हकदार हैं?" उपरोक्त तीनों वाद बिन्दुओं को सिद्ध करने का

भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त तीनों वाद बिन्दुओं पर बल नहीं दिया गया है। अतः वाद बिन्दु सं.–4, 5 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निस्तारित किये जाते हैं।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत खसरा नं.–416 रकबा 0.1540 हे० व खसरा नं.–417 रकबा 0.0080 हे० हेतु पूर्ण रूप से आज्ञप्त करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादीगण के उक्त खसरा नं.–416 रकबा 0.1540 हे० व खसरा नं.–417 रकबा 0.0080 हे० स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें व खसरा नं.–418 रकबा 0.3280 हे० स्थित ग्राम ऊंचा गांव परगना व तहसील कैराना के संदर्भ में प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे व दखल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

दिनांक–18.11.2020

(रूचि तिवारी)
सिविल जज (सी.डि.),
कैराना, शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक–18.11.2020

(रूचि तिवारी)
सिविल जज (सी.डि.),
कैराना, शामली।

Digitally signed by Ruchi Tiwari
Date: 2020.11.24 11:08:36 IST
Reason: Document Owner
Location: CIVIL JUDGE SR DIV
KAIRANA